# समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

## दिनांक 11-07-2016 को मो0 सोहेल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

*उपस्थिति :*

पंजी के अनुसार।

*कार्यवाही :*

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को बताया गया कि संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा विडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक-22.06.2016 को समीक्षा बैठक की गई है जिसमें कतिपय निदेश दिये गये है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक-12.07.2016 को समीक्षा की जाएगी। अतः संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए ससमय आवश्यक तैयारी कर लेना आवश्यक हो गया है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बिन्दुवार समीक्षा निम्न प्रकार की गई :-

01. नाव :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिला में 06 (छः) सरकारी नाव उपलब्ध है। जबकि 87 निजी नाव को चिन्हित कर नाव मालिकों से एकरारनामा बना लिया गया है। संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए और अधिक नावों की व्यवस्था महशूस की जा रही है। जिला स्तर पर नये सरकारी नाव का निर्माण हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया था, जिसके आलोक में प्राप्त निविदाओं में से तीन फर्म का दर सामान्य पाया गया। जिला क्रय समिति द्वारा लौटरी के माध्यम से फर्म को चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक-11.07.2016 को लौटरी का आयोजन किया जाना है। अतः इस हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों को गम्भीरता से लेते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा द्वारा निर्णय लिया गया कि मधेपुरा जिला वर्ष 2008 में आये प्रलयंकारी बाढ़ के स्थिति को देख चुका है, जिसमें काफी जान-माल की क्षति हुई थी। अतः इस प्रकार की स्थिति आने पर तुरंत निपटने हेतु नाव का क्रय आवश्यक है। अतः नाव के क्रय पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई।

02. टेन्ट :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-765/आ0प्र0 दिनांक-10.03.2011 द्वारा टेन्ट क्रय हेतु सहरसा एवं सुपौल जिला के लिए मधेपुरा जिला को नोडल जिला बनाया गया है। अतः सहरसा एवं सुपौल जिला को भी आवश्यकतानुसार टेन्ट की आपूर्ति मधेपुरा जिला से ही किया जाना है। वर्तमान में मधेपुरा जिला में 321 टेन्ट पुराना है। जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा 300 टेन्ट एवं सुपौल द्वारा 200 टेन्ट आपूर्ति करने का अनुरोध किया है।

टेन्ट क्रय के लिए निविदा के माध्यम से जिला क्रय समिति द्वारा M/s Waxotax Enterprises इन्डस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पो0-तिलरथ, जिला-बेगूसराय के दर को अनुमोदित किया गया है। दिनांक-27.04.2016 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में उक्त फर्म से ही टेन्ट क्रय की सहमति दी गई है।

सहरसा एवं सुपौल से प्राप्त अधियाचना के आलोक में मधेपुरा जिला में पर्याप्त टेन्ट उपलब्ध नहीं है। मात्र-321 टेन्ट पुराना है जिसे हरहाल में सुरक्षित रखना आवश्यक है। सहरसा एवं सुपौल से प्राप्त अधियाचना के आलोक में टेन्ट उपलब्ध कराने हेतु टेन्ट का क्रय आवश्यक है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहरसा एवं सुपौल से प्राप्त अधियाचना एवं संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए सहरसा के लिए 300, सुपौल के लिए 200 तथा मधेपुरा में सुरक्षित रखने हेतु 50 कुल-550 टेन्ट 4x4 मीटर डबल फ्लाई चिन्हित आपूर्तिकर्त्ता M/s Waxotax Enterprises इन्डस्ट्रीयल एरिया, बरौनी, पो0-तिलरथ, जिला-बेगूसराय से तुरंत क्रय किया जाए।

**03. सत्तू, नमक, चुड़ा, गुड़ आदि की व्यवस्था :-**

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि संभावित बाढ़ 2016 के मद्देनजर प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सामग्री का क्रय यथा चुड़ा, गुड़, सत्तू, दियासलाई आदि हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया था, जिसकी निर्धारित तिथि 01.07.2016 रखी गई थी। निर्धारित तिथि तक एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुए। अतः जिला क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पुनः सामग्री क्रय हेतु निविदा का प्रकाशन किया जाए। उक्त के आलोक में निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसकी निर्धारित तिथि 15.07.2016 है।

इस संबंध में नजदीक के जिलों यथा सहरसा एवं सुपौल से भी दर निर्धारण होने की सूचना भेजने का अनुरोध किया गया। सहरसा एवं सुपौल ने दूरभाष पर बताया कि वहां भी इस हेतु दर का निर्धारण नहीं हो पाया है। संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए तत्काल मंडल कारा, मधेपुरा में निर्धारित दर को ही अनुमोदन कराकर आपूर्तिकर्त्ता से एकरारनामा प्राप्त करना श्रेस्कर होगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंडल कारा, मधेपुरा के निर्धारित दर को ही आयुक्त महोदय से अनुमोदन कराकर आपूर्तिकर्त्ता से लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ससमय सामग्री का क्रय किया जा सके।

**04. कृषि यंत्रों का उपयोग हेतु दर निर्धारण :-**

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में मानसूनी वर्षा कम होने की संभावना है। मानसूनी वर्षा नहीं होने की स्थिति में खासकर मध्यम वर्गीय एवं गरीब किसान कृषि यंत्र के आभाव में ससमय फसल नहीं लगा पाते है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन पम्प सेट के साथ-साथ कृषि यंत्र यथा झाल कल्टीभेटर, रोटाभेटर आदि का दर निर्धारण श्रेस्कर रहेगा, ताकि मध्यम एवं गरीब किसान भी निर्धारित दर पर इसका उपयोग कर सकेगें।

दिनांक-04.07.2016 को जिला स्तरीय कृषि टॉस्क फोर्स की बैठक में (i) पटवन हेतु त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। जिसमें सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मधेपुरा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा एवं शंकरपुर के साथ दो प्रगतिशील कृषक को शामिल किया गया। इसी प्रकार (ii) कृषि यंत्र यथा झाल कल्टीभेटर, रोटाभेटर आदि का दर निर्धारण हेतु एक कमिटी बनाई गई। जिसमें

सहायक निदेशक, उद्यान, मधेपुरा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कुमारखंड/मुरलीगंज के साथ-साथ दो प्रगतिशील किसान को रखा गया।

(1) उक्त के आलोक में कृषि यंत्र के लिए गठित कमिटी द्वारा दिनांक-08.07.2016 को एक बैठक का आयोजन कर दर का निर्धारण किया गया, जो निम्न प्रकार है :-

**धान रोपनी हेतु सुखी जोताई के लिए -**

| क्र0 | कृषि यंत्र का नाम | अवधि | दर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | झाल | दो चास, एक पाटा | 800/- प्रति एकड़ |
| 2 | कल्टीभेटर | दो चास, एक पाटा | 600/- प्रति एकड़ |
| 3 | रोटावेटर | दो चास, एक पाटा | 1000/- प्रति एकड़ |

**खरीफ में धान रोपनी हेतु जोताई एवं कदवा के लिए -**

| क्र0 | कृषि यंत्र का नाम | अवधि | दर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | झाल | जोताई एवं पाटा | 800/- प्रति एकड़ |
| 2 | कल्टीभेटर | जोताई एवं पाटा | 400/- प्रति एकड़ |
| 3 | रोटावेटर | जोताई एवं पाटा | 1000/- प्रति एकड़ |

(2) पटवन हेतु पम्प सेट का दर निर्धारण हेतु गठित कमिटी द्वारा दिनांक-09.07.2016 को बैठक का आयोजन कर दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया :-

| क्र0 | पम्पसेट की अश्वशक्ति | दर प्रति घंटा | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3HP | रू0-85/- प्रति घंटा | |
| 2 | 5HP | रू0-100/- प्रति घंटा | |
| 3 | 8HP | रू0-110/- प्रति घंटा | |

समीक्षोपरान्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा द्वारा उपरोक्त निर्धारित दर को अनुमोदित किया गया।

05. पशु चारा हेतु दर का निर्धारण :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि संभावित बाढ़ 2016 के मद्देनजर बाढ़ से प्रभावित होने वाले पशुओं के लिए पशु चारा की उपलब्धता हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया है। वर्त्तमान में दर का निर्धारण नहीं हो पाया है। इसके लिए पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे स्थानीय जिलों यथा सहरसा एवं सुपौल से भी इस संबंध में वार्ता करें। यदि नजदीक के जिलों में पशु चारा का दर निर्धारण हो गया है तो उस दर को ही आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त की जाएगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा नजदीक के जिलों में भी बात की गई, लेकिन नजदीक के जिलों में भी वर्त्तमान तक दर का निर्धारण नहीं हो पाया है।

निदेशक, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्र संख्या-1815(नि0), दिनांक-10.08.2013 द्वारा वर्ष 2013 के लिए पशु चारा यथा (1) गेहू का भूसा 890/- प्रति क्वींटल (2) कुट्टी (पुआल) का दर 875/- रूपये प्रति क्वींटल निर्धारित किया गया है। संभावित बाढ़ 2016 को देखते हुए तत्काल विभागीय निर्धारित दर का ही अनुमोदन प्राप्त करना श्रेस्कर होगा।

समीक्षोपरान्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मधेपुरा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभागीय निर्धारित दर को ही आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर प्रभावित पशुओं के लिए चारा की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

| | | | |
|---|---|---|---|
| अपर समाहर्त्ता,<br>आपदा प्रबंधन, मधेपुरा | पुलिस अधीक्षक,<br>मधेपुरा | मंजू देवी 11/7/16<br>अध्यक्ष,<br>जिला परिषद, मधेपुरा | जिलाधिकारी,<br>मधेपुरा। |
| जिला के वरियतम<br>अभियंता | सिविल सर्जन,<br>मधेपुरा | प्रभारी पदाधिकारी,<br>आपदा प्रबंधन, मधेपुरा | उप विकास आयुक्त,<br>मधेपुरा |

ज्ञापांक--......459......./ आ0 प्र0, मधेपुरा, दिनांक-......11....../.......7....../2016

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी /सभी अभियंता, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

| | | | |
|---|---|---|---|
| अपर समाहर्त्ता,<br>आपदा प्रबंधन, मधेपुरा | 11.7.16<br>पुलिस अधीक्षक,<br>मधेपुरा | मंजू देवी<br>11/7/16<br>अध्यक्ष,<br>जिला परिषद, मधेपुरा | जिलाधिकारी,<br>मधेपुरा। |
| जिला के वरीयतम<br>अभियंता | 11.7.16<br>सिविल सर्जन,<br>मधेपुरा | 11/7/16<br>प्रभारी पदाधिकारी,<br>आपदा प्रबंधन, मधेपुरा<br>11.07.16 | उप विकास आयुक्त,<br>मधेपुरा |